



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49264

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5522/2026

अकबर अली

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: गिरीश कुमार मिश्रा, हरी ओम शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. , शेर बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या - 6

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी/गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री शेर बहादुर सिंह की दलीलें सुनी गईं।
2. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिवादी संख्या 2 - जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, बरेली द्वारा अपील संख्या 1340/2025 में पारित दिनांक 22.09.2025 के विवादित आदेश को, तथा प्रतिवादी संख्या 3 - तहसीलदार, तहसील एवं जिला बरेली द्वारा वाद संख्या 7938/2022 में पारित दिनांक 29.03.2025 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है।
3. विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह उठाया गया है कि उक्त आदेश, 'ऋषिपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (2023 (1) एडीजे 154 में रिपोर्टेड) मामले में पैरा-74 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे; अतः उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत भी एक पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित की गई है, किंतु उसका पालन नहीं किया गया, जो कि स्वयं आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है।
4. इस तथ्य को प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है।
5. उक्त तथ्यों के आलोक में, चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 - जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, बरेली द्वारा पारित दिनांक 22.09.2025 का आदेश, तथा प्रतिवादी संख्या 3 - तहसीलदार, तहसील एवं जिला बरेली द्वारा पारित दिनांक 29.03.2025 का आदेश, 'ऋषिपाल' (पूर्वोक्त) मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करते हुए पारित किए गए थे; अतः उन्हें रद्द किया जाना उचित है और तदनुसार उन्हें एतद्वारा रद्द किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 को यह निर्देश दिया जाता है कि वह चार माह के भीतर, विधि के पूर्णतः अनुरूप एक नवीन आदेश पारित करे।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”